मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०२१

मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ तथा मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम, २०२१ है.

२. यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) में धारा ९ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष २०२१-२२ एवं २०२२-२३ के लिए राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. के क्रमश: ४.०० प्रतिशत एवं ३.५० प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष २०२३-२४, २०२४-२५ एवं २०२५-२६ के जी.एस.डी.पी. के ३.०० प्रतिशत से अधिक न रहे. (विद्युत क्षेत्र में कार्य निष्पादन के आधार पर) वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से २०२४-२५ के लिए राजकोषीय घाटे में उस वर्ष के जी.एस.डी.पी. के ०.५ प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकेगी.".

धारा ३ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७ सन् १९५७) की धारा ३ में, शब्द "पांच सौ करोड़ रुपए" के स्थान पर, शब्द "एक हजार करोड़ रुपए" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष २०२१-२२ एवं २०२२-२३ के लिए राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. के क्रमश: ४.०० प्रतिशत एवं ३.५० प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष २०२३-२४ से २०२५-२६ के जी.एस.डी.पी. के ३.०० प्रतिशत से अधिक न रहे. विद्युत क्षेत्र में कार्य निष्पादन मानदंड के आधार पर वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से २०२४-२५ की कालावधि के लिए राजकोषीय घाटे में जी.एस.डी.पी. के ०.५ प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकेगी.

२. उपरोक्त अनुशंसाओं की दृष्टि से, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

३. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्र. ७ सन् १९५७), मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि को प्रारंभ में दो करोड़ रुपए के अग्रदाय के साथ स्थापित करने का उपबंध करता है. चूंकि राज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह रकम अपर्याप्त पाई गई, अतएव समग्र निधि में समय-समय पर वृद्धि की गई और वर्तमान में यह पांच सौ करोड़ रुपए है. बाद में यह राशि भी आकस्मिकताओं से संबंधित अनवेक्षित व्ययों की पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त पाई गई. योजना व्यय एवं अन्य व्यय में वृद्धि की दृष्टि से यह समीचीन है कि समग्र आकस्मिकता निधि में वृद्धि की जाए.

४. अतएव, मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ की धारा ३ को संशोधित कर आकस्मिकता निधि को एक हजार करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है.

५. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १ मार्च, २०२१

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५

(क्रमांक १८, सन् २००५) से उद्धरण

* * * * *

धारा ९ (२) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार—

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे को कम करेगी जिससे इसे ३१ मार्च, २००९ तक समाप्त किया जा सके तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बढ़ाया जा सके;

(ख) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी जिससे कि ३१ मार्च, २०१६ तक वह जीएसडीपी के ३.५ प्रतिशत से अधिक न रहे और तत्पश्चात उसे बनाए रखेगी, अर्थात्:—

(एक) पिछले वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का १० प्रतिशथ या उससे कम हो, तथा

(दो) पिछले वित्तीय वर्ष में, कुल परादेय ऋण जीएसडीपी अनुपात का २५ प्रतिशत या उससे कम हो.

यदि उपरोक्त उपखण्ड (एक) या (दो) में वर्णित किसी शर्त का पूर्ति नहीं होती है, तो उस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी कि वह उस वर्ष के जीएसडीपी के ३.२५ प्रतिशत से अधिक न रहे और यदि उपरोक्त उपखण्ड (एक) एवं (दो) दोनों में शर्तों की पूर्ति नहीं होती है तो राजकोषीय घाटे को इस प्रकार कम करेगी जिससे कि वह उस वित्तीय वर्ष के जीएसडीपी के ३.०० प्रतिशत से अधिक न रहे.

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४ तथा २०१४-१५ के लिए कुल परादेय ऋण उक्त वर्ष के लिए प्राक्कलित जीएसडीपी के क्रमशः ३७.६ प्रतिशत, ३६.८ प्रतिशत, ३६.० प्रतिशत तथा ३५.३ प्रतिशत से अधिक नहीं हों;

(घ) प्रत्याभूतियों की वार्षिक वृद्धि दर परिसीमित करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो कि चालू वर्ष की, कुल प्रत्याभूतियां पूर्ववर्ती वर्ष की, कुल राजस्व प्राप्तियों के ८० प्रतिशत से अधिक न हो;

(३) उपधारा (२) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा के होते हुए भी ३१ मार्च, २०१७ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, ऊर्जा विभाग की कंपनियों के वित्तीय पुनर्निमाण के लिए, उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) के अधीन उधारों को, राज्य की शुद्ध उधार लेने की सामान्य अनुज्ञेय अधिकतम सीमा के विरुद्ध संगणित नहीं जाएगा.

(४) उपधारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के होते हुए भी, राज्य सरकार ३१ मार्च, २०२० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए रुपये ४४४३.०० करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकेगी, जो कि उपधारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के विरुद्ध संगणित नहीं किया जाएगा.

(५) उपधारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के होते हुए भी राज्य सरकार, ३१ मार्च, २०२१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा अवधारित अतिरिक्त ऋण ले सकेगी, जो कि उपधारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के विरुद्ध संगणित नहीं किया जाएगा."

परन्तु राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, भारत संघ के बजट प्राक्कलन के संबंध में केन्द्रीय कर न्यागमन में कमी के आधार पर या आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आंतरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं के आधार या आधारों के कारण या ऐसे अन्य आपवादिक आधारों के कारण जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के संबंध में एक विवरण धारा ११ में अन्तर्विष्ट किये गये अनुसार विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाएगा.

* * * * *

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७ सन् १९५७) से उद्धरण

* * * * *

धारा-३ अग्रदाय के रूप में, ''मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि'' नामक एक निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से पांच सौ करोड़ रुपये की धन राशि का भुगतान किया जायेगा.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.